Indian Streams Reserach Journal
Vol.2,Issue.II/ March; 12pp.1-4
डॉ. राजेन्द्र पटैल,
ISSN:-2230-7850

Research Papers

1857 की क्रांति में नरसिंहपुर जिले के गौंड राजा नरवर सिंह का योगदान

डॉ. राजेन्द्र पटैल,
इतिहास विभाग (अतिथि विद्वान)
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
नरसिंहपुर (म.प्र.)

प्रस्तावना :–

1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नरसिंहपुर सहित पूरी सागर नर्मदा टेरीटरीज में अंग्रेजों का घोर विरोध किया गया। नरसिहंपुर जिले में ढिलवार, मदनपुर, तेदूंखेड़ा, देवरी, हीरापुर, सांकल, दिल्हैरी इत्यादि अनेक स्थानों पर अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया गया। जिला मुख्यालय नरसिंहपुर से लगभग 62 कि.मी. दूर ढिलवार में गौंड राजा नरवर सिंह ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। 1857 के विद्रोह के दौरान नरसिंहपुर जिले में हीरापुर के राजा हिरदेशाह के पुत्र मेहरबान सिंह लोधी, मदनपुर के डेलन शाह गौंड़, ढिलवार के नरवर शाह, दिल्हेरी से ठाकुर गंजन सिंह व दलगंजन सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इन राजवंशों ने इसके पूर्व 1842 के बुन्देला विद्रोह में भी अंग्रेजों के विरूद्ध संघर्ष किया था।1 1857 के विद्रोह के प्रारम्भ में नरसिंहपुर में ब्रिटिश फोर्स की पल्टन की पाँच कम्पनियाँ एवं दो पुरानी तोपें मौजूद थीं। इनका संचालन केप्टन वूली कर रहा था और यहाँ का डिप्टी कमिश्नर केप्टन टरनन था।

नरसिंहपुर के डिप्टी कमिश्नर केप्टन टरनन ने सबसे पहले 18 मार्च, 1857 को जबलपुर के कमिश्नर मेजर अर्सकाइन को उसके जिले में चपातियों के वितरण की सूचना दी, उसने बताया कि 24 जनवरी, 1857 को जब उसने नरवेरह में केम्प किया, तो एक गाँव कोटवार उसके पास पाँच छोटी चपातियाँ लेकर आया, जिनकी गोलाई करीब एक इंच थी। उसने कहा कि उसने (कोटवार ने) पन्द्रह चपातियों का वितरण किया है और प्रत्येक गाँव के कोटवार को पाँच चपातियाँ दी, जहाँ उसे भी पाँच चपातियाँ दी गई। वह कोटवार यह जानना चाहता था कि उसे बांकि पाँच रोटियों का क्या करना है। पूछताछ करने पर भी उसे इसका कोई खुलासा नहीं मिला।

1857 की क्रांति में नरसिंहपुर जिले में मदनपुर और ढिलवार के गौंड़ सरदारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ढिलवार के जागीरदार नरवर सिंह ने बुन्देला विद्रोह में भी सक्रिय भागीदारी की थी। उस समय नरसिंहपुर में अंग्रेजों की स्थिति अच्छी नहीं थी। नरसिंहपुर का डिप्टी कमिश्नर केप्टन टरनन नरसिंहपुर में सुरक्षा की कमी के बारे में अपने 20 सितम्बर 1857 के पत्र में प्रकाश डालता है। वह यह भी बताता है कि शस्त्रास्त्र एवं गोला बारूद आदि एक पक्के मकान में सुरक्षित कर लिया गया।

नरसिंहपुर के डिप्टी कमिश्नर केप्टन टरनन ने सागर–नर्मदा डिवीजन के जबलपुर स्थित मेजर डब्ल्यू.सी.अर्सकाइन को अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट में 19 अक्टूबर 1857 को जानकारी दी कि – वह इस महिने की 17 तारीख को 28वीं मद्रास नेटिव इन्फेन्ट्री की टुकड़ी के साथ बरमान के बाँये किनारे पर रूका, अगले दिन 18 तारीख को तेंदूखेड़ा से लगभग 6 मील दूर डोभी नामक गाँव कुछ सैनिकों के साथ गया। डोभी जाते हुए वह रास्ते में बरमान और चाँवरपाठा दोनों जगहों से होकर गया और इस दौरान उसने चाँवरपाठा परगने में विद्रोहियों की जानकारी ली। इस जिले में ऐसा प्रतीत होता है कि ढिलवार का नरवर सिंह ही प्रमुख विद्रोही है, वह 1842/43 के विद्रोह का एक नटखट विद्रोही है जो कि पिछली बार धन सम्पत्ति देकर व वादा करने के बाद फांसी से छोड़ दिया गया था, अब यह व्यक्ति 150 से 200 मशालधारियों के साथ पुनः विद्रोह कर रहा है।5 लगभग इसी समय हीरापुर के विद्रोही नेता मेहरवान सिंह ने 52 वीं देशी पैदल सेना के 200 विद्रोहियों के साथ नरसिंहपुर पर धावा बोल दिया था।

इसी बीच गढ़ी अम्बापानी का प्रमुख विद्रोही नबाव आदिल मोहम्मद खाँ, नरसिंहपुर इलाके में लूटमार करने के लिए 20 अक्टूबर 1857 या इसके आसपास प्रविष्ट हुआ। उस समय इसके पास 150 पठान तथा 500 स्थानीय आदमी थे। इनके अलावा कुछ कस्टम चपरासी भी थे। ढिलवार का नरवर सिंह राजगोंड, सहजपुर का बलभद्र सिंह भी आदिल मोहम्मद खाँ के साथ थे। इन सबने मिलकर तेंदूखेड़ा पर धावा बोला। इस बार उन्होंने गाँव को लूटा और जला दिया। ऐसा ही हाल बिल्कुआ गाँव का भी हुआ। बिल्कुआ को लूटने के बाद विद्रोही दल मेहरबान सिंह के पास हीरापुर चला गया।

ढिलवार के प्रसिद्ध नेता नरवर सिंह आसपास के क्षेत्रों में बहुत विख्यात थे, इन्होंने 1842 के बुन्देला विद्रोह में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 18 नवम्बर को केप्टन टरनन ने ढिलवार को बिना किसी प्रतिरोध के अपने कब्जे में ले लिया। नरवर सिंह उस समय गाँव में ही था, किन्तु वह वहाँ से भाग निकला।8 अंग्रेजों द्वारा उसका मकान नष्ट कर दिया गया। ब्रिटिश सेना द्वारा नरवर सिंह का चाँदपुर गाँव तक पीछा किया गया, किन्तु वह पुनः भागने में सफल रहा। उसका एक भतीजा पकड़ लिया गया और उसे ढिलवार में फाँसी दे दी गई।9 ढिलवार को छोड़ने से पूर्व 18 नवम्बर को केप्टन टरनन ने ब्रिटिश फोर्स की मदद से ढिलवार गाँव को विद्रोहियों से मुक्त करा लिया था। ढिलवार में नरवर सिंह के विरूद्ध कार्यवाही करने के पश्चात् अंग्रेजी फौज 20 नवम्बर को तेंदूखेड़ा पहुँची, तेंदूखेड़ा पहुँचने पर 2000 मकानों वाला यह नगर पूर्णतः उजाड़ पाया गया तथा यह नगर कुछ समय के लिये राव सूरत सिंह को सौंप दिया गया।10

9 जनवरी 1858 को राहतगढ़ और भोपाल से लगभग 4000 हजार विद्रोहियों ने जिनमें भोपाल के आदिल मोहम्मद खान, सागर के बहादुर सिंह और अन्य नेताओं के अधीन 250 घुड़सवार पठान और मदनपुर के डेलनशाह और नरवर सिंह शामिल थे, इन्होंने तेंदूखेड़ा पर पुनः आक्रमण किया।11 इस प्रकार 9 जनवरी में तेंदूखेड़ा पर 3000 या 4000 विद्रोहियों ने आक्रमण किया। इनमें से कुछ नाम इस प्रकार है :–

1 नरवर सिंह – ढिलवार, जिला नरसिंहपुर
2 डेलनशाह – मदनपुर, जिला नरसिंहपुर
3 वलभद्र सिंह – शहजपुर, जिला नरसिंहपुर
4 अचलपुर के राजा डिल्टो (केसली रोड पर)
5 आदिल महमूद खाँ – अमनपानी, भोपाल
6 तरजिल महमूद खाँ – अमनपानी, भोपाल

इस दल ने तेंदूखेड़ा पर आक्रमण किया था।12 विद्रोही दल ने तेंदूखेड़ा तथा इमझिरा पर पुनः कब्जा कर लिया और तेंदूखेड़ा को आसानी से लूट का शिकार बनाया तथा नगर में आग लगा दी । इस संघर्ष में बागियों की इतनी क्षति हुई कि उनका जीतना न जीतना बराबर हुआ।13 जब इन विद्रोहियों को पुनः ब्रिटिश फोर्स के आने की सूचना मिली, तो वे राहतगढ़ के जंगलों में भाग गये।14

16 जनवरी 1858 को केप्टन टरनन ने मेजर अर्सकाइन को जानकारी दी कि लगभग 4000 विद्रोहियों ने 300 पठान घुड़सवार के साथ चाँवरपाठा परगना पर आक्रमण कर दिया है, इस कार्य में निम्नलिखित नेता सम्मिलित हैं –

1 नरवरसिंह ढिलवार के
2 डेलनशाह मदनपुर के
3 बलभद्र सिंह शहजहपुर के
4 अचलपुर के राजा
5 चौका के राजा
6 आदिल खान अमनपुर भोपाल
7 मुहम्मद खान अमनपुर भोपाल। 15

काफी संघर्ष के बाद केप्टन टरनन ने चाँवरपाठा परगना को विद्रोहियों से मुक्त करा लिया। 16 नरसिंहपुर सहित इस अंचल में भी भारत के अन्य भागों की तरह गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया द्वारा विद्रोह का दमन करने के लिए जारी किए गए उपरोक्त सभी कानून इन क्षेत्रों में भी लागू किए गए। नर्मदा के उत्तर में स्थित जिलों में विशेषकर 1857 के अधिनियम 18 का प्रयोग जनता पर बेरहमी से लागू किया गया। इस कानून द्वारा डिप्टी कमिश्नरों को 'समरी पार्वस' दिये गये थे । इस एक्ट की धारा 2 द्वारा उन्हे विद्रोह और सेना छोड़कर भागने के किसी भी मामले की सुनवाई का अधिकार दिया गया था । धारा 3 के तहत पुलिस अधिकारियों को बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया था, किसी पर विद्रोही होने का संदेह होने पर डिप्टी कमिश्नर को उसे मृत्युदण्ड, आजीवन निर्वासन की सजा देने के लिए अधिकृत किया था। मृत्युदण्ड पर तत्काल अमल होता था। 17

अंततः अनेक छुटपुट झड़पों के बाद धोखे से ढ़िलवार के नरवर सिंह को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, इस संघर्ष में नरवर सिंह के अनेक साथी जंगलों में संघर्ष करते हुए मारे गये, तथा लगभग 2 दर्जन साथियों सहित नरवर सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया।

यह बिडम्बना ही है कि डेलनशाह के भाई निजाम शाह ने अंग्रेजों का साथ दिया। अंततः नरवर शाह व डेलनशाह कैद कर लिये गये। डेलनशाह को फांसी दे दी गयी तथा नरवर शाह की सन् 1858 में जैल में मृत्यु हो गयी।18 इस प्रकार यह वीर सपूत भी अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए देश पर शहीद हो गया।

संदर्भ ग्रंथ

1.चंद्रभानु राय – नरसिंह नयन, पृष्ठ – 71
2.पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय भोपाल, जबलपुर डिवीजन बंडल कॉरस्पाँडेन्स पोलिटिकल डिपार्टमेंट रिकार्ड, फाइल नं. 20 ऑफ 1857 (बंडल नं. 45) पत्र दिनांक 27.12.1857, (पृ.नहीं)
3.पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय भोपाल, जबलपुर डिवीजन बंडल कॉरस्पाँडेन्स पोलिटिकल डिपार्टमेंट केस फाइल नं. 4 ऑफ 1858, (पृष्ठांकन नहीं)
4.मध्यप्रदेश संदेश : पत्रिका, जून 2008, पृष्ठ – 33
5.पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय भोपाल, जबलपुर डिवीजन बंडल कॉरस्पाँडेन्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट केस फाइल नं. 19 ऑफ 1857, (बंडल नं. 44) पृष्ठ – 330
6.वीकली नेरेटिव ऑफ इवेन्टस इन नरसिंहपुर, अक्टूबर 12 टू 19, 1857 : (कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर) डिपार्टमेंट केस फाइल नं. 19 ऑफ 1857, (बंडल नं. 44) पृष्ठ – 332
7.डॉ. सुरेश मिश्र व भगवानदास श्रीवास्तव –1857 मध्यप्रदेश के रणबांकुरे, पृष्ठ – 279
8.मध्यप्रदेश संदेश : (पत्रिका), जून 2008, पृष्ठ – 33
9.डॉ. एग्नेस ठाकुर – महाकौशल में 1857 की क्रांति, पृष्ठ – 70
10.वीकली नेरेटिव ऑफ इवेन्ट्स इन नरसिंहपुर फ्रॉम 16 टू 22 नवम्बर, 1857 (नरसिंहपुर कलेक्ट्रेट)।
11.मध्यप्रदेश जिला गजेटियर, नरसिंहपुर, पृष्ठ – 63 एवं मध्यप्रदेश संदेश : (पत्रिका) जून 2008, पृष्ठ – 33
12.पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्राहालय भोपाल, जबलपुर डिवीजन बंडल कॉरस्पाँडेन्स पॉलीटिकल डिपार्टमेंट केस फाइल नं. 01 ऑफ 1858, (बंडल नं. 46) पृष्ठ – 199–200
13.चन्द्रभानु राय – नरसिंह नयन, पृष्ठ – 26
14.भगवानदास श्रीवास्तव – 1857 के स्वाधीनता आंदोलन में मध्यप्रदेश के आदिवासियों का योगदान, पृष्ठ – 43
15.पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्राहालय भोपाल, जबलपुर डिवीजन बंडल कॉरस्पाँडेन्स पॉलीटिकल डिपार्टमेंट केस फाइल नं. 01 ऑफ 1858, (बंडल नं. 46) पृष्ठ, 209–210
16.डॉ. पी.एस. मुखारया–द रिवोल्ट ऑफ 1857, सागर इन नर्मदा टेरीटरीज, पृष्ठ – 193
17.द्वारका प्रसाद मिश्र – मध्यप्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास, पृष्ठ 103
18.चन्द्रभानु राय – नरसिंह नयन, पृष्ठ 63

संदर्भ ग्रंथ सूची

1.पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय भोपाल, जबलपुर डिवीजन बंडल कॉरस्पाँडेन्स पोलिटिकल डिपार्टमेंट रिकार्ड, फाइल नं. 20 ऑफ 1857 (बंडल नं. 45)

पत्र दिनांक 27.12.1857

ढिलवार के प्रसिद्ध नेता नरवर सिंह आसपास के क्षेत्रों में बहुत विख्यात थे, इन्होंने 1842 के बुन्देला विद्रोह में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 18 नवम्बर को केप्टन टरनन ने ढिलवार को बिना किसी प्रतिरोध के अपने कब्जे में ले लिया। नरवर सिंह उस समय गाँव में ही था, किन्तु वह वहाँ से भाग निकला।8 अंग्रेजों द्वारा उसका मकान नष्ट कर दिया गया। ब्रिटिश सेना द्वारा नरवर सिंह का चाँदपुर गाँव तक पीछा किया गया, किन्तु वह पुनः भागने में सफल रहा। उसका एक भतीजा पकड़ लिया गया और उसे ढिलवार में फाँसी दे दी गई।9 ढिलवार को छोड़ने से पूर्व 18 नवम्बर को केप्टन टरनन ने ब्रिटिश फोर्स की मदद से ढिलवार गाँव को विद्रोहियों से मुक्त करा लिया था। ढिलवार में नरवर सिंह के विरूद्ध कार्यवाही करने के पश्चात् अंग्रेजी फौज 20 नवम्बर को तेंदूखेड़ा पहुँची, तेंदूखेड़ा पहुँचने पर 2000 मकानों वाला यह नगर पूर्णतः उजाड़ पाया गया तथा यह नगर कुछ समय के लिये राव सूरत सिंह को सौंप दिया गया।10

9 जनवरी 1858 को राहतगढ़ और भोपाल से लगभग 4000 हजार विद्रोहियों ने जिनमें भोपाल के आदिल मोहम्मद खान, सागर के बहादुर सिंह और अन्य नेताओं के अधीन 250 घुड़सवार पठान और मदनपुर के डेलनशाह और नरवर सिंह शामिल थे, इन्होंने तेंदूखेड़ा पर पुनः आक्रमण किया।11 इस प्रकार 9 जनवरी में तेंदूखेड़ा पर 3000 या 4000 विद्रोहियों ने आक्रमण किया। इनमें से कुछ नाम इस प्रकार है :–

1 नरवर सिंह – ढिलवार, जिला नरसिंहपुर
2 डेलनशाह – मदनपुर, जिला नरसिंहपुर
3 वलभद्र सिंह – शहजपुर, जिला नरसिंहपुर
4 अचलपुर के राजा डिल्टो (केसली रोड पर)
5 आदिल महमूद खाँ – अमनपानी, भोपाल
6 तरजिल महमूद खाँ – अमनपानी, भोपाल

इस दल ने तेंदूखेड़ा पर आक्रमण किया था।12 विद्रोही दल ने तेंदूखेड़ा तथा इमझिरा पर पुनः कब्जा कर लिया और तेंदूखेड़ा को आसानी से लूट का शिकार बनाया तथा नगर में आग लगा दी । इस संघर्ष में बागियों की इतनी क्षति हुई कि उनका जीतना न जीतना बराबर हुआ।13 जब इन विद्रोहियों को पुनः ब्रिटिश फोर्स के आने की सूचना मिली, तो वे राहतगढ़ के जंगलों में भाग गये।14

16 जनवरी 1858 को केप्टन टरनन ने मेजर अर्सकाइन को जानकारी दी कि लगभग 4000 विद्रोहियों ने 300 पठान घुड़सवार के साथ चौंवरपाठा परगना पर आक्रमण कर दिया है, इस कार्य में निम्नलिखित नेता सम्मिलित हैं –

1 नरवरसिंह ढिलवार के
2 डेलनशाह मदनपुर के
3 बलभद्र सिंह शहजहपुर के
4 अचलपुर के राजा
5 चौका के राजा
6 आदिल खान अमनपुर भोपाल
7 मुहम्मद खान अमनपुर भोपाल। 15

काफी संघर्ष के बाद केप्टन टरनन ने चौंवरपाठा परगना को विद्रोहियों से मुक्त करा लिया। 16 नरसिंहपुर सहित इस अंचल में भी भारत के अन्य भागों की तरह गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया द्वारा विद्रोह का दमन करने के लिए जारी किए गए उपरोक्त सभी कानून इन क्षेत्रों में भी लागू किए गए। नर्मदा के उत्तर में स्थित जिलों में विशेषकर 1857 के अधिनियम 18 का प्रयोग जनता पर बेरहमी से लागू किया गया। इस कानून द्वारा डिप्टी कमिश्नरों को 'समरी पार्वस' दिये गये थे । इस एक्ट की धारा 2 द्वारा उन्हे विद्रोह और सेना छोड़कर भागने के किसी भी मामले की सुनवाई का अधिकार दिया गया था । धारा 3 के तहत पुलिस अधिकारियों को बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया था, किसी पर विद्रोही होने का संदेह होने पर डिप्टी कमिश्नर को उसे मृत्युदण्ड, आजीवन निर्वासन की सजा देने के लिए अधिकृत किया था। मृत्युदण्ड पर तत्काल अमल होता था। 17

अंततः अनेक छुटपुट झड़पों के बाद धोखे से ढ़िलवार के नरवर सिंह को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, इस संघर्ष में नरवर सिंह के अनेक साथी जंगलों में संघर्ष करते हुए मारे गये, तथा लगभग 2 दर्जन साथियों सहित नरवर सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया।

यह बिडम्बना ही है कि डेलनशाह के भाई निजाम शाह ने अंग्रेजों का साथ दिया। अंततः नरवर शाह व डेलनशाह कैद कर लिये गये। डेलनशाह को फांसी दे दी गयी तथा नरवर शाह की सन् 1858 में जैल में मृत्यु हो गयी।18 इस प्रकार यह वीर सपूत भी अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए देश पर शहीद हो गया।

संदर्भ ग्रंथ

1.चंद्रभानु राय – नरसिंह नयन, पृष्ठ – 71
2.पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय भोपाल, जबलपुर डिवीजन बंडल कॉरस्पाँडेन्स पोलिटिकल डिपार्टमेंट रिकार्ड, फाइल नं. 20 ऑफ 1857 (बंडल नं. 45) पत्र दिनांक 27.12.1857, (पृ.नहीं)
3.पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय भोपाल, जबलपुर डिवीजन बंडल कॉरस्पाँडेन्स पोलिटिकल डिपार्टमेंट केस फाइल नं. 4 ऑफ 1858, (पृष्ठांकन नहीं)
4.मध्यप्रदेश संदेश : पत्रिका, जून 2008, पृष्ठ – 33
5.पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय भोपाल, जबलपुर डिवीजन बंडल कॉरस्पाँडेन्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट केस फाइल नं. 19 ऑफ 1857, (बंडल नं. 44) पृष्ठ – 330
6.वीकली नेरेटिव ऑफ इवेन्टस इन नरसिंहपुर, अक्टूबर 12 टू 19, 1857 : (कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर) डिपार्टमेंट केस फाइल नं. 19 ऑफ 1857, (बंडल नं. 44) पृष्ठ – 332
7.डॉ. सुरेश मिश्र व भगवानदास श्रीवास्तव –1857 मध्यप्रदेश के रणबांकुरे, पृष्ठ – 279
8.मध्यप्रदेश संदेश : (पत्रिका), जून 2008, पृष्ठ – 33
9.डॉ. एग्नेस ठाकुर – महाकौशल में 1857 की क्रांति, पृष्ठ – 70
10.वीकली नेरेटिव ऑफ इवेन्ट्स इन नरसिंहपुर फॉम 16 टू 22 नवम्बर, 1857 (नरसिंहपुर कलेक्ट्रेट)।
11.मध्यप्रदेश जिला गजेटियर, नरसिंहपुर, पृष्ठ – 63 एवं मध्यप्रदेश संदेश : (पत्रिका) जून 2008, पृष्ठ – 33
12.पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्राहालय भोपाल, जबलपुर डिवीजन बंडल कॉरस्पाँडेन्स पॉलीटिकल डिपार्टमेंट केस फाइल नं. 01 ऑफ 1858, (बंडल नं. 46) पृष्ठ – 199–200
13.चन्द्रभानु राय – नरसिंह नयन, पृष्ठ – 26
14.भगवानदास श्रीवास्तव – 1857 के स्वाधीनता आंदोलन में मध्यप्रदेश के आदिवासियों का योगदान, पृष्ठ – 43
15.पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्राहालय भोपाल, जबलपुर डिवीजन बंडल कॉरस्पाँडेन्स पॉलीटिकल डिपार्टमेंट केस फाइल नं. 01 ऑफ 1858, (बंडल नं. 46) पृष्ठ, 209–210
16.डॉ. पी.एस. मुखारया–द रिवोल्ट ऑफ 1857, सागर इन नर्मदा टेरीटरीज, पृष्ठ – 193
17.द्वारका प्रसाद मिश्र – मध्यप्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास, पृष्ठ 103
18.चन्द्रभानु राय – नरसिंह नयन, पृष्ठ 63

संदर्भ ग्रंथ सूची

1.पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय भोपाल, जबलपुर डिवीजन बंडल कॉरस्पाँडेन्स पोलिटिकल डिपार्टमेंट रिकार्ड, फाइल नं. 20 ऑफ 1857 (बंडल नं. 45) पत्र दिनांक 27.12.1857

2.पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय भोपाल, जबलपुर डिवीजन बंडल कॉरस्पाँडेन्स पोलिटिकल डिपार्टमेंट केस फाइल नं. 4 ऑफ 1858,

3.पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय भोपाल, जबलपुर डिवीजन बंडल कॉरस्पाँडेन्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट केस फाइल नं. 19 ऑफ 1857, (बंडल नं. 44)

4.वीकली नेरेटिव ऑफ इवेन्ट्स इन नरसिंहपुर फ्रॉम 16 टू 22 नवम्बर, 1857 (नरसिंहपुर कलेक्ट्रेट)।

5.पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्राहालय भोपाल, जबलपुर डिवीजन बंडल कॉरस्पाँडेन्स पॉलीटिकल डिपार्टमेंट केस फाइल नं. 01 ऑफ 1858, (बंडल नं.46)

6.मध्यप्रदेश जिला गजेटियर, नरसिंहपुर, (1971)

7.डॉ. सुरेश मिश्र व भगवानदास श्रीवास्तव –1857 मध्यप्रदेश के रणबांकुरे, (स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल, 2008)

8.ठाकुर, डॉ. एग्नेस – महाकौशल में 1857 की क्रांति (गॉडफादर प्रिंट सिस्टम्स ऑफसेट प्रिंटर एवं पब्लिशर, रसल चौक, जबलपुर, 2008)

9.राय, चंद्रभानु – नरसिंह नयन, (कर्मवीर द्वारा पुनर प्रकाशन, अगस्त 2001)

10.भगवानदास श्रीवास्तव – 1857 के स्वाधीनता आंदोलन में मध्यप्रदेश के आदिवासियों का योगदान,

11.डॉ. पी.एस. मुखारया–द रिवोल्ट ऑफ 1857, सागर इन नर्मदा टेरीटरीज, (शारदा पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2001)

12.मिश्र, द्वारका प्रसाद – मध्यप्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास(स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल, 2000)

13.मध्यप्रदेश संदेश : पत्रिका, जून 2008, (प्रकाशन शाखा, जनसंपर्क संचालनालय, वाणगंगा, भोपाल